पार्किंग ठेका नीलामी समिति का कार्यवृत, जनपद न्यायालय बागपत।

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांकित 06.03.2024 के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2023-2024 (01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक) के लिये जनपद न्यायालय बागपत की बाहर प्रस्तावित स्थल पर दो वाहन पार्किंग (मोटर साईकिल/साईकिल एवं कार पार्किंग) की नीलामी हेतु अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में समिति की बैठक आज दिनांक 07.03.2024 को समय सायं 01:30 बजे मेरे विश्राम कक्ष में सम्पन्न की गयी।

बैठक में नीलाम समिति के सदस्य श्री राहुल कुमार सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागपत एवं प्रवीण कुमार प्रियदर्शी, सिविल जज जूनियर डिवीजन-द्वितीय बागपत उपस्थित आयें। नीलाम समिति द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त कार पार्किंग व मोटर साईकिल/साईकिल पार्किंग की नीलामी जेम पोर्टल द्वारा करने का निर्णय लिया गया। नीलामी में भाग लेने के लिये सभी जानकारी जनपद न्यायालय बागपत की वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/baghpat एवं माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.allahabadhighcourt.in पर नोडल अधिकारी बागपत के द्वारा अपलोड कराया जायेगा तथा इच्छुक व्यक्तियों द्वारा कभी भी देखा व जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।

वाहन पार्किंग का विवरण व स्थान का विवरण

क्र.सं.	ठेके का विवरण	धरोहर राशि	भूमि का विवरण
01	कार पार्किंग	25000/- रूपये	120 फिट x 85 फिट= 10200 वर्ग फिट
02	मोटर साईकिल व साईकिल पार्किंग	25000/- रूपये	120 फिट x 85 फिट= 10200 वर्ग फिट

वित्तीय वर्ष 2024-2025 हेतु कार पार्किंग एवं मोटर साईकिल पार्किंग की दरें निम्नवत है:-

कार पार्किंग (चार पहिया वाहन)	30 रूपये/वाहन
ऑटो रिक्शा (तीन पहिया वाहन)	20 रूपये/वाहन
मोटर साईकिल (दो पहिया वाहन)	20 रूपये/वाहन
साईकिल	05 रूपये/वाहन

नीलामी की शर्तें निम्नवत है:-

1. यह वाहन पार्किंग ठेका दिनांक 01.04.2024 से दिनांक 31.03.2025 तक के लिये वैध होगा।
2. जिस ठेकेदार/फर्म के यहां वाहन पार्किंग से सम्बन्धित धनराशि बकाया है उसको या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। यदि किसी प्रकार वह व्यक्ति ठेका प्राप्त कर भी लेता है तो इसकी जानकारी होने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा उक्त ठेके की पुनः बोली करायी जा सकेगी।
3. न्यायालय में कार्यरत कर्मचारी या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।
4. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म को पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा।
5. किसी भी एक व्यक्ति/ फर्म द्वारा मोटरसाइकिल पार्किंग अथवा कार पार्किंग में से किसी एक पार्किंग स्थल के लिए ही आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।
6. **वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिये कार पार्किंग की न्यूनतम बोली गत वित्तीय वर्ष की धनराशि अंकन 3,60,800/- के 10 प्रतिशत 396880/- रूपये से आरम्भ की जायेगी।**

7. **वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिये मोटर साईकिल/साईकिल पार्किंग की न्यूनतम बोली गत वित्तीय वर्ष की धनराशि अंकन 6,51,000/- रूपये के 10 प्रतिशत 716100/- से आरम्भ की जायेगी।**

8. धरोहर धनराशि के रूप में अंकन 25000/- रूपये का डिमाण्ड डॉफ्ट जनपद न्यायाधीश बागपत के पक्ष में जमा किया जायेगा।

9. जिस ठेकेदार/फर्म के पक्ष में नीलामी की बोली स्वीकृत होगी वह व्यक्ति/फर्म अपना ठेका स्वयं चलायेगा। अपने किसी रिश्तेदार, सगे सम्बन्धी या अन्य को किसी को हस्तान्तरित नहीं करेगा। उपरोक्त बातों की जानकारी किसी प्रकार से होने पर ठेका निरस्त कर जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी और पुनः नीलामी करा दी जायेगी।
10. नीलामी में अधिकतम बोली प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति/फर्म के पक्ष में नीलामी स्वीकृत होगी।
11. नीलामी की बोली स्वीकृत होने के उपरान्त व्यक्ति/फर्म को बोली की धनराशि का 25% तत्काल जमा करना होगा तथा शेष धनराशि को तीन किस्तों में प्रत्येक त्रैमास के प्रथम सप्ताह में जमा करनी होगी। धनराशि जमा न करने की स्थिति में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह नियमानुसार कार्यवाही कर ठेके को निरस्त कर सकते है।
12. वाहन पार्किंग ठेकेदार/फर्म को अपने स्थल की साफ-सफाई स्वयं करनी होगी। साईकिल स्टैण्ड के ठेकेदार द्वारा साईकिल स्टैण्ड एवं मोटर साईकिल स्टैण्ड एवं कार पार्किंग निर्धारित स्थल पर कीचड़, जल भराव आदि की समस्या को रोकने के लिये स्वयं प्रबन्ध करना होगा और पार्किंग स्थल पर घास, कूड़ा-करकट आदि की नियमित साफ-सफाई करानी होगी।
13. माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय स्वयं या प्रभारी अधिकारी नजारत द्वारा भौतिक स्थलीय निरीक्षण कर सकते है। पार्किंग स्थल पर गंदगी पाये जाने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है।
14. प्रत्येक व्यक्ति/फर्म को अपने फॉर्म के साथ आधार कार्ड दाखिल करना होगा।
15. प्रत्येक व्यक्ति/फर्म को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह आवंटित स्थल पर कोई स्थायी निर्माण नहीं करेगा न ही आवंटित स्थल का प्रयोग किसी गैर-कानूनी कार्य के लिये नहीं करेगा।
16. प्रत्येक व्यक्ति/फर्म को उक्त सभी शर्तों का पालन करने के सम्बन्ध में अंकन 100/- रूपये के स्टॉम्प पर एक शपथ पत्र दाखिल करना होगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उलंघन करने पर माननीय जनपद न्यायाधीश बागपत महोदय को यह अधिकार होगा की शासकीय धनराशि के नुकसान को दृष्टिगत रखते हुये वसूली उससे या उसकी सम्पत्ति से करा दें तथा किसी भी समय आवंटन निरस्त कर दें।

उपरोक्त नीलामी की शर्तें माननीय जनपद न्यायाधीश के अनुमोदनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

Praveen Kumar 07.03.24	Rahul Kumar Singh	07.03.24
प्रवीण कुमार प्रियदर्शी	**राहुल कुमार सिंह** 07.03.24	**पवन कुमार राय**
सदस्य ठेका नीलामी समिति/	सदस्य ठेका नीलामी समिति/	अध्यक्ष ठेका नीलामी समिति/
सिविल जज जूनियर डिवीजन-02,	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बागपत।	बागपत।	न्यायालय संख्या-01 बागपत।

Approved
7/3/2024